



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,  
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

राज्यमय जयल

याचिका सं. 313/टीडी/2025

दिनांक: 11.4.2025

## विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की

### उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

संपूर्ण भारत में विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन क्लीन मैक्स फ्यूजन पावर एलएलपी (सीएमएफपीएल), 13ए, फ्लोर-13, प्लॉट 400, द पेरोग्रिन अपार्टमेन्ट, किस्मत सिनेमा, प्रमादेवी, मुम्बई-400025, महाराष्ट्र द्वारा आयोग के समक्ष किया गया है।

2. क्लीन मैक्स फ्यूजन पावर एलएलपी को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों की प्रति सहित आवेदन के लिए वेबसाइट [www.cleanmax.com](http://www.cleanmax.com) में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक 9.4.2025 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-V अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया है।

4. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में आयोग द्वारा यथापूर्वोक्त विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव के प्रति, सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिए एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है जो कि दिनांक 21.4.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के पास ऊपर दिए गए पते पर पहुंच जाएं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आयोग ने 22.4.2025 को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और जो व्यक्ति सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता./-

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव